उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-14
संख्या- 367/एक-14/2020
लखनऊः दिनाँक 24 जून, 2020

कार्यालय आदेश

संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-19011(35)/1/2019-ई-पंचायत दिनाँक 23 मार्च, 2020 द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र के विधिमान्यीकरण हेतु ग्रामीण आबादी क्षेत्र का समुचित अभिलेख तैयार करने के लिए नवीन ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने की केन्द्र सरकार की योजना से अवगत कराया गया है। 'स्वामित्व' नामक इस योजना का शुभारम्भ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिनाँक 24 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार द्वारा किया गया है।

2- केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही उक्त योजना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य MoU हस्ताक्षरित एवं सम्पादित किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 54022 ग्रामों, जिनका शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन है, की ग्रामीण आबादी का ड्रोन प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया हेतु चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण हेतु चिन्हित ग्रामों में से 50292 ग्रामों में ग्रामीण आबादी के सर्वे कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। शेष ग्रामों के लिए भी शीघ्र ही अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु चरणबद्ध समय सीमा निर्धारित की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा तैयार कर उपलब्ध करायी गयी रूपरेखा के अनुसार सर्वेक्षण कार्य के संचालन एवं प्रगति के सतत पर्यवेक्षण के लिए शासन के आदेश संख्या- 249/एक-14/2019 दिनांक 29 मई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (State Steering Committee-SSC), अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई समिति(State Programme Management Unit-SPMU) एवं जिलाधिकारी की अध्यक्ष में जनपद स्तरीय देखरेख एवं समीक्षा समिति(District Monitering And Review Commettee- DMRC) का गठन किया गया है।

4- उपर्युक्तानुसार गठित समितियों में से राज्य स्तरीय संचालन समिति एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई समिति में, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग द्वारा नामित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव, राजस्व की अध्यक्षता युक्त राज्य स्तरीय संचालन समिति एवं अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता युक्त राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई समिति में अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग द्वारा नामित सदस्य के रूप में प्रतिभाग किये जाने हेतु **मण्डलायुक्त लखनऊ** एवं **जिलाधिकारी बाराबंकी** को एतदद्वारा नामित किया जाता है।

संलग्नकः- यथोक्त

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-621/9-36(2)/2020 दिनांक 08.06.2020 के संदर्भ में।
4. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
6. निदेशक, सर्वे आफ इण्डिया, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-14

संख्या- 249/एक-14/2020

लखनऊः दिनाँक 29 मई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-19011(35)/1/2019-ई-पंचायत दिनांक-23 मार्च, 2020 द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र के विधिमान्यीकरण हेतु ग्रामीण आबादी क्षेत्र का समुचित अभिलेख तैयार करने के लिए नवीन ड्रोन प्रद्यौगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने की केन्द्र सरकार की योजना से अवगत कराया गया। "स्वामित्व" नामक इस योजना का षुभारम्भ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार द्वारा किया गया है।

2- उपर्युक्त "स्वामित्व" योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा तैयार कर उपलब्ध करायी गयी रूपरेखा के अनुसार सर्वेक्षण कार्य के संचालन एवं प्रगति के सतत् पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई समिति एवं जनपद स्तरीय देख-रेख एवं समीक्षा समिति गठन किए जाने की अपेक्षा की गयी है। तद्नुसार श्री राज्यपाल राज्य स्तरीय संचालन समिति-(State Steering Committee-SSC), राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई समिति-(State Programme Management Unit-SPMU), जनपद स्तरीय देखरेख एवं समीक्षा समिति(District Monitering And Review Commettee- DMRC) का निम्नवत गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते है:-

क. राज्य स्तरीय संचालन समिति (State Steering Committee-SSC)

1	अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य सचिव
3	प्रमुख सचिव न्याय द्वारा नामित अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4	सचिव पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
5	सचिव गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
6	सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
7	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य
8	एम.ओ.पी.आर. भारत सरकार के प्रतिनिधि।	सदस्य
9	शहरी/ नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।	सदस्य
10	राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश।	सदस्य
11	अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी।	सदस्य
12	निदेशक, रिमोट सेंसिंग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव राजस्व द्वारा नामित मण्डलायुक्त।	सदस्य
14	अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित जिलाधिकारी।	सदस्य
15	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।	सदस्य

ख. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई समिति(State Programme Management Unit-SPMU)

1	अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य सचिव
3	सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
4	सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	आयुक्त, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
6	प्रभारी अधिकारी, अनुभाग-9 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव, राजस्व द्वारा नामित मण्डलायुक्त।	सदस्य
8	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव, राजस्व द्वारा नामित जिलाधिकारी।	सदस्य
10	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय निदेशक।	सदस्य
11	वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश।	सदस्य
12	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार।	सदस्य
13	निदेशक रिमोट सेंसिंग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
14	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।	सदस्य

ग. जनपद स्तरीय देखरेख एवं समीक्षा समिति(District Monitering And Review Commettee-DMRC)

1	जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक।	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी।	सदस्य
4	अपर जिलाधिकारी, भूलेख/ मुख्य राजस्व अधिकारी।	सदस्य सचिव
5	जिला पंचायत राज अधिकारी।	सदस्य
6	उप संचालक चकबन्दी।	सदस्य
7	नियमावली में विहित प्राधिकारी।	सदस्य
8	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	सदस्य
9	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.	सदस्य
10	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्री सदस्य
11	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।	सदस्य

उपर्युक्त समितियां भारत सरकार/राज्य सरकार से अग्रतर निर्देश प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2- संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव गृह, वित्त, पंचायती राज, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8- निदेशक, रिमोट सेन्सिंग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।